

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- दिसम्बर 29,2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 191 वाहनों का चालान, 30 वाहनों से कुल 22900/-रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 05 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भा0द0वि0 मे 78 व धारा 110 जी जा0फौ0 में 00 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अखिलेश उर्फ गोलू पुत्र सुभाष नि0 वार्ड नं0- 8 सिसवा बाजार थाना कोठीभार महाराजगंज के कब्जे से 01 अदद नाजायद चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 382/20 धारा- 4/25 आर्म्स अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

पशु क्रूरता अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रंजीत यादव पुत्र किशोर नि0 वीसखोर थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 राशि बकरा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 576/20 धारा- 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

कस्टम एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1- केशव निषाद पुत्र महात्म नि0 कुणवा उर्फ मुणकटिया थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 1100 ग्राम अवैध गाजा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 297/20 धारा- 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया । 2- राजेन्द्र पुत्र सलहत नि0 बासपार डेगही थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 1150 ग्राम अवैध गाजा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 298/20 धारा- 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-18 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 28/29-12-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 09 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।

